क्रम संख्या–171 पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018-2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–2, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अध्यादेश)

देहरादून, शनिवार, 06 अक्टूबर, 2018 ई0

आश्विन 14, 1940 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 350/XXXVI(3)/2018/79(1)/2018

देहरादून, 06 अक्टूबर, 2018

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 213 के खण्ड(1) के अधीन श्री राज्यपाल ने "उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अध्यादेश, 2018" पर दिनांक 06 अक्टूबर, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अध्यादेश संख्या 03, वर्ष– 2018 के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अध्यादेश, 2018

(उत्तराखण्ड अध्यादेश संख्या: 3 वर्ष 2018)

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (अधिनियम संख्या 01 वर्ष 1951) में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

अध्यादेश

(भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित)

चूंकि, उत्तराखण्ड राज्य की विधानसभा सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अध्यादेश, 2018 है।
(2) नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद और छावनी परिषद क्षेत्रों की सीमा के अन्तर्गत आने वाले और समय–समय पर सम्मिलित किये जा सकने वाले क्षेत्रों को छोड़कर यह सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में लागू होगा।
(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 143क का अंतःस्थापन

2. उत्तराखण्ड(उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001), जिसे यहां आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 143 के पश्चात धारा 143क निम्नवत् अंतःस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्–

"143क. धारा 143 में किसी बात के होते हुए भी किसी भूमिधर द्वारा अपनी भूमि का प्रयोग औद्योगिक प्रयोजन से करने के आशय से सक्षम प्राधिकारी की अनुमति / सम्मति प्राप्त होने की दशा में वह भूमि अथवा धारा 154 के अन्तर्गत औद्योगिक प्रयोजनों हेतु क्रय की गयी भूमि धारा 143 के अन्तर्गत स्वयमेव औद्योगिक आशय से प्रख्यापित हुई समझी जायेगी;

परन्तु यह कि राज्य सरकार अथवा जिलाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा भूमि क्रय करने की दी गयी अनुमति की शर्तों का पालन न करने अथवा किन्हीं शर्तों का उल्लंघन करने पर अथवा

जिस प्रयोजन हेतु भूमि क्रय की गयी है उससे अन्यथा प्रयोग करने पर अन्तरण शून्य होगा एवं धारा 167 के परिणाम उत्पन्न हो जायेंगे।

स्पष्टीकरणः— इस धारा में उल्लिखित "औद्योगिक प्रयोजन" शब्द के अन्तर्गत चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक प्रयोजन भी सम्मिलित हैं।"

धारा 154 की उप धारा (2) का प्रतिस्थापन

3. मूल अधिनियम की धारा 154 की उपधारा (2) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा, अर्थात्—

"(2) तत्समय प्रवृत्त भौमिक अधिकार से सम्बन्धित किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य सरकार अपने सामान्य या विशेष आदेश द्वारा यदि उसकी यह सम्मति है कि ऐसा अन्तरण औद्योगिक प्रयोजनों के लिए किया गया है या एक पंजीकृत सहकारी समिति या धर्मोत्तर प्रयोजनों के लिए स्थापित संस्था के पक्ष में किया गया है जिसके पास उसकी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है अथवा यह कि अन्तरण जन–साधारण के हित में किया गया है तो उपधारा (1) में स्वीकृत सीमा से अधिक अन्तरण करने का अधिकार प्रदान कर सकेगी।

स्पष्टीकरण— 1— इस धारा के प्रयोजनों के लिए 'कुटुम्ब' का अर्थ है अन्तरिती स्वयं उसकी पत्नी या पति, जैसी भी स्थिति हो, तथा अल्पवयस्क बच्चे और जहाँ अन्तरिती अवयस्क है उस बालक या बालिका के माता–पिता भी।

स्पष्टीकरण 2— उपधारा (2) में उल्लिखित "औद्योगिक प्रयोजनों" का तात्पर्य उत्तराखण्ड राज्य के जिला पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, चम्पावत, रूद्रप्रयाग, बागेश्वर, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल एवं अल्मोड़ा का सम्पूर्ण भू–भाग तथा जिला देहरादून के विकासनगर, डोईवाला, सहसपुर तथा रायपुर विकासखण्ड को छोड़कर अन्य सभी पर्वतीय बाहुल्य विकासखण्ड, जिला नैनीताल के हल्द्वानी एवं रामनगर विकासखण्ड को छोड़कर अन्य सभी पर्वतीय बाहुल्य विकासखण्ड के अन्तर्गत की भूमि के क्रय से है।"

बेबी रानी मौर्य
राज्यपाल, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

आलोक कुमार वर्मा,
प्रमुख सचिव।

No. 350/XXXVI(3)/2018/79(1)/2018
Dated Dehradun, October 06, 2018

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'The Uttarakhand (The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950) (Adaptation and Modification Order, 2001) (Amendment) Ordinance, 2018' (Uttarakhand Ordinance No.03 of 2018).

As assented by the Governor on 06 October, 2018.

THE UTTARAKHAND (THE UTTAR PRADESH ZAMINDARI ABOLITION AND LAND REFORMS ACT, 1950) (ADAPTATION AND MODIFICATION ORDER, 2001) (AMENDMENT) ORDINANCE, 2018

[Uttarakhand Ordinance No: 3 of 2018]

{Promulgated by the Governor in the Sixty-ninth Year of the Republic of India}

An

Ordinance

further to amend the Uttarakhand (The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950) (Adaptation and Modification Order, 2001) (Act no 01 of 1951) in the context of the State of Uttarakhand;

WHEREAS, the State Assembly is not in session and the Governor is satisfied that the circumstances exist which render it necessary for her to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of "the Constitution of India", the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance –

Short title, extent and Commencement

1. (1) This Ordinance may be called the Uttarakhand (The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950) (Adaptation And Modification Order, 2001) (Amendment) Ordinance, 2018.

(2) It shall extend to the whole of State of Uttarakhand except the areas included and to be included from time to time in the limits of any Municipal Corporation, Nagar Panchayat, Nagar Parishad and Cantonment Board.

(3) It shall come into force at once.

Insertion of Section 143A

2. In the Uttarakhand (The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950) (Adaptation and Modification Order, 2001) hereinafter referred to as the Principal Act, after Section 143, Section 143A shall be inserted as follows, namely :-

"**143A.** Notwithstanding anything contained in Section 143, the land as soon as after obtaining the permission / consent of the Competent Authority by any Bhumidhar with the effect to use his land for industrial purposes or the land purchased for the industrial purposes under Section 154 shall be deemed to be declared automatically with the industrial effect under Section 143;

Provided that non-compliance of the terms of permission to purchase land given by State Government or District Magistrate, as the case may be, or contravention of any terms or use of land otherwise than the purposes for which the land is purchased then the transfer shall be void and consequences of Section 167 shall arise.

Explanation:- The words "Industrial purpose" mentioned in this Section include medical, health and academic purposes."

Substitution of sub-section (2) of Section 154

3. Sub-section (2) of Section 154 of the Principal Act shall be substituted as follows, namely-

"(2). Subject to the provisions of any other law relating to the land tenures for the time being in force, the State Government may, by general or special order, authorise transfer in excess of the limit prescribed in sub-section (1), if it is of the opinion that such transfer is for the industrial purposes or in favour of a registered co-operative society or an institution established for a charitable purpose, which does not have land sufficient for its need or that the transfer is in the interest of general public.

Explanation 1- For the purposes of this section "family" means transferee himself, his/her wife or husband, as the case may be, and minor children and where transferee is minor also the parents of such minor children.

Explanation 2- "Industrial purposes" mentioned in sub-section (2) means the purchase of the land within the whole territory of district Pithoragarh, Uttarkashi, Chamoli, Champawat, Rudrapryag, Bageshwar, Pauri Garhwal, Tehri Garhal and Almora and all other hilly abundance development blocks of district Dehradun except Vikasnagar, Doiwala, Sahaspur and Raipur and all other hilly abundance development blocks of district Nainital except Halwani and Ramnagar development blocks of the State of Uttarakhand."

BABY RANI MAURYA
Governor, Uttarakhand.

By Order,

ALOK KUMAR VERMA,
Principal Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 52 विधायी / 575–2018–100+500 (कम्प्यूटर / रीजियो)।